न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 03/2019
अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर
प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री जयसिंह सोलंकी पुत्र श्री उम्मेद सिंह सोलंकी जाति सोलंकी(राजपूत) (विक्रेता मालिक) मैसर्स जे बी आर स्वीट मार्ट, सेक्टर नं. 11 पानी की टंकी के सामने, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर(राज)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री श्याम सोलंकी अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 29.01.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24.01.2019 को अप्रार्थी श्री जयसिंह सोलंकी पुत्र श्री उम्मेद सिंह सोलंकी जाति सोलंकी(राजपूत) (विक्रेता मालिक) मैसर्स जे बी आर स्वीट मार्ट, सेक्टर नं. 11 पानी की टंकी के सामने, मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान रखे एक लोहे के पीपे में लगभग 11 किलाग्राम मावा आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त लोहे के पीपे में 11 किलांग्राम मावा में से एक मिलोग्राम मावा नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूलरू 162/– रूपये में खरीद कर नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मावा को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंदे फॉर्मेलिन डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया तथा उस पर कोड़ एवं क्रमांक जे– 1523 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा प्रत्येक लेबल नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक बोतल पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक जे–1523 गोंद से नियमानुसार चपकाई। नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द बोतल को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 08.02.2019 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा अनसेफ स्तर का पाया

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

गया। तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ मावा अनसेफ की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/178/19/374/2019 दिनांक 29.04.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री श्याम सोलंकी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.138/Act/ 2019/204 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ **मावा अनसेफ** पाया गया। अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ मावा की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी जांच रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/178/19/374/2019 दिनांक 29.04.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि प्रार्थी की छोटी सी मिठाई की दुकान है जिसमें अधिकतर मिठाई बाजार से लाकर बेचता है व शुद्ध मिठाई दुकान पर ही बनाता है जिसके लिए उपयोग आनेवाला मावा प्रार्थी द्वारा बाजार से क्रय कर लाया जाता है। उक्त मावा प्रार्थी के दुकान में उपयोग हेतु रखा गया था उक्त मावे में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। बाजार में उपलब्ध मावा ही इस्तेमाल किया गया है। उक्त मावा बेचने के लिए नहीं लाया गया था। प्रार्थी द्वारा कभी भी ग्राहकों को उक्त मावा नहीं बेचा गया है। प्रार्थी द्वारा अनभिज्ञता से बाजार से खरीद कर मावा का मिठाई हेतु उपयोग किया गया। जिसकी शुद्धता के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण उक्त मावा इस्तेमाल किया। प्रार्थी द्वारा किसी भी स्तर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मावा तैयार नहीं किया गया है ना ही बेचा गया है। प्रार्थी द्वारा सामान्य ग्राहक बनकर उक्त मावा बाजार से क्रय किया गया था। अतः प्रार्थी के विरूद्ध धारा 36(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे अन्यथा प्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 24.01.2019 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण मावा 15 किलोग्राम मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.138/Act/ 2019/204 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ **मावा अनसेफ फूड** पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पुना से पुनः जांच करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट Certificate No. RFL/DO/178/19/374/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये मावा में Milk fat (by acid) Digestion Method) on dry basis- Shall not be less than 30% on dry weight basis की तुलना 22.21%, Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 46.7 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला मावा मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26(2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 50,000/– **अखरे पचास हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति.जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर